रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1205/2025/460/22-2-2025-17(411)/2025
लखनऊ: दिनांक: 29 सितम्बर, 2025

शुद्धि-पत्र

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बुद्धी (बन्दी संख्या-19425) पुत्र श्री खिम्मा, निवासी-कमालपुर, थाना-लोनार, जनपद-हरदोई को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्त किये जाने विषयक कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-842/2025/460/22-2-2025-17(411)/2025, दिनांक 25.07.2025 से संलग्न फार्म-घ(डी) की पाँचवी/छठी लाइन में बंदी द्वारा प्रथम केस में दिनांक 12-01-2025 तक अपरिहार 21 वर्ष, 06 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 28 वर्ष, 08 माह, 26 दिन की सजा काटे जाने का उल्लेख है, जबकि बंदी द्वारा द्वितीय केस में भी दिनांक 12-01-2025 तक अपरिहार 19 वर्ष, 01 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 25 वर्ष, 04 माह, 16 दिन की सजा काटी गयी है। अतः उक्त पाँचवी/छठी लाइन में अंकित प्रथम केस में बंदी द्वारा काटी गयी सजा के साथ-साथ द्वितीय केस में काटी गयी सजा को भी पढ़ा जाए।

उक्त शासनादेश संख्या-842/2025/460/22-2-2025-17(411)/2025 दिनांक 25.07.2025 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष अंकित तथ्य यथावत रहेंगे।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1205/2025/460(1)/22-2-2025-17(411)/2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को उनके कार्यालय के पत्र संख्या-36849/प्रो0-3-फार्म-ए/एम-21.01.2025 दिनांक-23.09.2025 के संदर्भ में।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
4- पुलिस अधीक्षक, हरदोई।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।